

पट्टानाम/किराया नामा मकान/दुकान/प्लाट

स्टाम्प

रूपये

स्टाम्प क्रमांक दिनांक

स्टाम्प की संख्या

.....प्रथम पक्ष

.....द्वितीय पक्ष

यह है कि प्रथम पक्ष जो कि एक प्लाट/मकान/दुकान नं0रकबा वर्ग गज जिसकी सीमा व पैमाईश निम्न प्रकार से है:-

पूर्व:- फुट..... इंच..... पश्चिम:- फुट..... इंच.....

उत्तर:- फुट..... इंच..... दक्षिण:- फुट..... इंच.....

स्थित.....खेवट नम्बर----- खतौनी नम्बर----- मुसत्तील नम्बर----- किला नम्बर-----
रकबा कुल भूमि----- कनाल----- मरले का----- भाग रकबा कनाल----- मरले
का----- वाका ----- तहसील ----- जिला----- इन्तकाल नं0----- व
जमाबन्दी वर्ष ----- व नगर पालिका/नगर निगम यूनिट क्रमांक ----- अनुसार कालौनी.....
..... अन्दरून/बाहर नगर पालिका/नगर निगम

प्रथम पक्ष की मलकियत है । जिसका कवर्ड एरिया..... वर्गफुट है । जो हर प्रकार के भार से
पाक व साफ है । जिस पर मैंने कोई भी कर्ज सरकारी अर्ध सरकारी या गैर सरकारी बैंक या संस्था किसी
व्यक्ति/ व्यक्तियों से नहीं लिया हुआ है भार मुक्त है । जिसे प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को कुल
----- रूपये (----- रूपये) वार्षिक पट्टा की दर से अवधि ----- वर्ष के लिए अर्थात दिनांक
----- ता----- तक पट्टा /किराये पर दे दी है और द्वितीय पक्ष ने प्लाट/मकान/दुकान को
पट्टा/किराये पर ले लिया है । शर्तें किराया नामा/पट्टा नामा निम्न प्रकार से है:-

1. यह है कि कब्जा मौका पर प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष का बतौर पट्टेदार/किरायेदार करा दिया है ।
2. यह है कि द्वितीय पक्ष उपरोक्त प्लाट/मकान/दुकान पर ---- कारोबार/रिहायश कर सकेगा ।
3. यह है कि द्वितीय पक्ष को प्लाट/मकान/दुकान पट्टा शुदा पर बिल्डिंग तामीर करवाने,पुस्तकालय आदि एजूकेशन सोसाएटी की जरूरत के अनुसार बनवाने का पूरा हक होगा ।
4. यह है कि द्वितीय पक्ष मकान/दुकान उपरोक्त को समय अनुसार शिक्षा सम्बन्धी उददेश्य की पूर्ति हेतु प्रयोग कर सकेगा प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी ।
5. यह है कि द्वितीय पक्ष हर साल राशि पट्टा/किराये की अदायगी प्रथम पक्ष को अदा करता रहेगा और रसीद प्राप्त रहेगा । बिना रसीद रकम पट्टा की अदायगी मान्य नहीं होगी ।
6. यह है कि द्वितीय पक्ष पट्टा शुदा मकान को दूसरे मनुष्य या संस्था या सोसाएगी को किराये पर नहीं दे सकेगा तथा केवल उपरोक्त शिक्षा समिति के सम्बन्धित कार्यों के लिए प्रयोग कर सकेगा और इसी कारण शिक्षा तथा सामाजिक लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए रकम पट्टा नामा मात्र रखी गई है ।

7. यह है कि पट्टा का दाखिल खारिज कागजात माल में प्रथम पक्ष की गैर हाजरी में द्वितीय पक्ष के नाम दर्ज होकर मन्जूर हो जावें तो प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी ।

1. यह है कि द्वितीय पक्ष पट्टा शुदा को शिक्षा के कार्यों के लिए एजुकेशन सोसाएटी के लिये इस्तेमाल कर सकेगा और पट्टे का समय समाप्त होने पर मकान पट्टा शुदा प्रथम पक्ष को वापिस तामिर सहित करने का जिम्मेवार होगा । दोनों पक्ष म्याद पट्टा दोनों की रजामन्दी से बढ़ा सकेगा । परन्तु दोनों पक्षों की मरजी के बिना म्याद पट्टा आगे न बढ़ा सकेगा । यह दस्तावेज बहाजरी गवाहान दोनों पक्षों द्वारा निस्पादित कर दिया गया ताकि प्रणाम रहे । आज-----
तिथि-----

अनुसूची-1

खेवट/खतौनी/खसरा न0 ----- तादादी---- कनाल----- मरला/बिघा---- बिस्वा का---- कुल
हिस्सा क्षेत्रफल ---- कनाल---मरला/बिघा---- बिस्वा----- वर्ग गज----- वर्गमीटर स्थित
गांव/शहर----- हदबस्त न0----- तहसील-----जिला----- जमाबन्दी वर्ष -----

अनुसूची-11

नक्शा मकान /दुकान/प्लाट -----

प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष

गवाह

गवाह